

**Haryana Government
General Administration Department
(General Services-1 Branch)**

No. 6/50/2007-1GS I

Dated Chandigarh, the 29th July, 2011.

To

1. All the Financial Commissioners and Principal Secretaries/ Commissioners and Secretaries to Government of Haryana.
2. All Heads of Departments, Commissioners, Ambala, Hisar, Rohtak and Gurgaon Divisions and all the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
3. The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
4. All the Managing Directors of Boards/ Corporations/ Public Undertaking.
5. All the Registrars of the Universities in the State

Subject: Regularization of Group B employees appointed/engaged on adhoc/contract basis.

....

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention on the subject noted above and to say that the matter regarding regularization of the services of Group B employees working on adhoc/ contract basis has been engaging the attention of the Government for the past some time and it has now been decided to regularize 'as a one time measure', the services of such Group B employees working on adhoc/ contract basis who fulfill the following criteria:-

- i) That the employee should have continued to work for not less than ten years as on 10.04.2006 and is still in service but not under cover of the orders of the Courts or Tribunals, against duly sanctioned vacant posts. The period of continuous break in such service should not be more than one month in a calendar year.
- ii) That the employee possessed the minimum prescribed qualifications for the post on the date of appointment.
- iii) That the concerned employee should have been appointed only after either his name has been sponsored by the Employment Exchange or has been appointed on the basis of recommendations made by the Departmental Selection Committee by inviting applications through advertisement against duly sanctioned vacant post.
- iv) That the work and conduct of such employee should have been throughout satisfactory and no disciplinary or criminal proceedings should be pending against him.
- v) That the employee should be regularized against a sanctioned vacant post of relevant category
- vi) A medical fitness certificate and documentary proof of Date of Birth as per the instructions shall be obtained from the employee concerned.
- vii) His antecedents should be got verified by the Police as per the Government instructions, if it was not done earlier.
- viii) No relaxation in the criteria as laid down above shall be allowed.

2. However, the regularly recruited employees who have been promoted on adhoc basis on the direct recruitment posts pending recruitment by Haryana Public Service Commission meaning thereby that those employees, who have been promoted against the vacancy of such post the recruitment of which is within the purview of Haryana Public Service Commission, will not be covered under this policy.

3. The regularization of Group-B employees working on adhoc/ contract basis shall be made with effect from the date of issuance of the notification by the department concerned after adopting the due procedure. Such posts against which regularization is considered, are required to be taken out of the purview of Haryana Public Service Commission. As such, the concerned departments shall be required to complete the process for regularization of services of such employees in consultation with the Haryana Public Service Commission.

4. The seniority of the employees so regularized shall be fixed from the date of their regularization and they shall be placed below in the seniority to the employees last appointed on the regular basis before the date of regularization of these employees. However, the inter-se-seniority of such employees shall be determined in accordance with the date of their joining the post on adhoc/contract basis. If the date of joining the post on adhoc /contract basis by such employees is the same, then an older employee shall rank senior to an employee younger in age.

5. The benefit of the seniority shall be given to such employees from the date of their regularization. Therefore, such employees shall be entitled to the incentives introduced under the Incentive Schemes like ACP scheme (wherein regular satisfactory service is required) from the date of their regularization. The pay of such employees shall be fixed in accordance with the provisions of the service rules. Since new pension scheme has been introduced by the State Government w.e.f. 01.01.2006, such employees shall be covered under the provisions of New Pension Scheme.

6. Since this policy is a one time measure on humanitarian ground, therefore, no person shall be entitled to claim it as a matter of right, if found unsuitable due to non fulfilment of the conditions mentioned in this letter.

7. In future, no **illegal/irregular** appointment/employment on adhoc/contract shall be made against sanctioned posts.

8. It has also been observed that keeping in view the impact of regularization of Group B adhoc /contract employees the number of available vacancies in the departments may undergo a change and affect the requisitions already sent to Haryana Public Service Commission for advertisement. It is, therefore, decided that where the vacancies have not yet been advertised, the departments after calculating at their own level, may decide how many vacancies are to be withdrawn from the requisition, if any, sent to the Haryana Public Service Commission.

9. It has also been decided by the Government that the employees, who are working on adhoc/contract basis and are not covered under this regularization policy and are still in service may be given age relaxation as a one time measure, if they compete for regular appointment.

Yours faithfully,


Joint Secretary, General Administration Department
for Chief Secretary to Government of Haryana.

Endst No.6/50/2007-1GS1

Dated Chandigarh, the 29th July, 2011

1. A copy is forwarded to Chief Secretary (in Services-III Branch) for information and necessary action in the matter.
2. A copy is forwarded to the Secretary, Haryana Public Service Commission, Panchkula with the request that if any advertisement is in process of issue, the same may not be published till a fresh requisition is received from the concerned department.


Joint Secretary, General Administration Department
for Chief Secretary to Government of Haryana.

.....

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवायें- I)

संख्या 6/50/2007-1 जी.एस.।

दिनांक चण्डीगढ़ 29 जुलाई, 2011

सेवा में

- 1 सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।
- 2 सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुडगांव मण्डल और हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी बोर्ड/निगम/पब्लिक सैक्टर के प्रबन्धक निदेशक
- 5 राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार ।

विषय:- तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर नियुक्त/लगे ग्रुप 'ख' कर्मचारियों का नियमितीकरण ।

श्रीमान/श्रीमती जी,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आकर्षित करूं तथा कहूं कि तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर कार्यरत ग्रुप 'ख' कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण से सम्बन्धित मामले पूर्व में कुछ समय से सरकार के ध्यान में आए हैं तथा अब तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर कार्यरत ऐसे ग्रुप 'ख' कर्मचारी जो निम्नलिखित मापदण्ड को पूरा करते हैं, की सेवाएं एक मुश्त उपाय के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया है:-

- (i) कि कर्मचारी ने दिनांक 10-04-2006 को कम से कम दस वर्ष के लिये लगातार कार्य किया हो तथा अब तक सम्यक् रूप से स्वीकृत पदों के विरुद्ध सेवा में है, किन्तु न्यायालय या अधिकरण के आदेशों में नहीं आते हों । ऐसी सेवा में लगातार विराम की अवधि एक कलैण्डर वर्ष में एक मास से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (ii) कि कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिये न्यूनतम विहित योग्यताएं रखता हो ।
- (iii) कि सम्बद्ध कर्मचारी की नियुक्ति केवल सम्यक् रूप से स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित करने के बाद की गई हो या विज्ञापन के द्वारा आवेदन आमंत्रित करते हुए विभागीय चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई हो ।
- (iv) कि ऐसे कर्मचारी का कार्य तथा आचरण पूर्णतया संतोषजनक होना चाहिए तथा उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक या अपराधिक कार्यवाही लम्बित नहीं होनी चाहिए ।
- (v) कि कर्मचारी को सम्बन्धित प्रवर्ग के स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियमित किया जाना चाहिए ।
- (vi) हिदायतों के अनुसार चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा जन्म तिथि का दस्तावेजी सबूत सम्बद्ध कर्मचारी से प्राप्त किया जायेगा ।
- (vii) उसका पूर्ववृत्त सरकारी हिदायतों के अनुसार पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए यदि पहले नहीं किया गया था ।
- (viii) उपरोक्त यथा अधिकथित मापदण्ड में कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जायेगी ।

2. तथापि, नियमित रूप से भर्ती कर्मचारी जो हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लम्बित रखी गई भर्ती के विरुद्ध सीधी भर्ती पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत हो गये हैं, जिसके अर्थ में वे कर्मचारी जो ऐसे पद की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत हो गये हैं, जिनकी भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, इस नीति में नहीं आयेंगे ।
3. तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर कार्यरत ग्रुप 'ख' कर्मचारियों का नियमितीकरण सम्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद सम्बद्ध विभाग द्वारा अधिसूचना के जारी होने की तिथि से किया जायेगा। ऐसे पदों के विरुद्ध जिनका नियमितीकरण विचाराधीन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाले जाने अपेक्षित हैं । इस प्रकार, सम्बन्धित विभागों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिये अपेक्षित प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
4. इस प्रकार नियमित किये गए कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमितीकरण की तिथि से नियत की जायेगी तथा उन्हें उनकी सेवायें नियमित किये जाने से पूर्व नियमित आधार पर अन्तिम नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता से नीचे रखा जायेगा । तथापि, ऐसे कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता उन द्वारा तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर उनकी ज्वाइनिंग की तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी । यदि तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर ऐसे कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की तिथि एक है, तो जो कर्मचारी आयु में बड़ा हो वह आयु में छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ होगा ।
5. ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ उनके नियमितीकरण की तिथि से दिया जायेगा । इसलिए, ऐसे कर्मचारी प्रोत्साहन स्कीम जैसों कि ए0सी0पी0 स्कीम (जिसमें संतोषजनक नियमित सेवा की आवश्यकता है) के अधीन प्रारम्भ प्रोत्साहन के लिये उनके नियमितीकरण की तिथि से हकदार होंगे । ऐसे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियत किया जायेगा । चूकिं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2006 से नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया है ऐसे कर्मचारियों नई पेंशन स्कीम के उपबन्धों के अन्तर्गत आएंगे ।
6. चूकिं यह नीति लोकोपकारी आधार पर एक मुश्त उपाय है, अतः, कोई भी व्यक्ति अधिकार की दृष्टि से इसका दावा करने का हकदार नहीं होगा, यदि इस पत्र में वर्णित शर्तों को पूरा न करने के कारण अनुपयुक्त पाया जाता है ।
7. भविष्य में, तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर कोई भी गैर कानूनी/अनियमित नियुक्ति/ नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा ।
8. यह भी अवलोकन किया गया है कि ग्रुप 'ख' के तदर्थ/ अनुबन्ध कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुये विभाग में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो जाये तथा विज्ञापन के लिये

हरियाणा लोक सेवा आयोग को पहले भेजी गई मांग प्रभावित हो सकती है। इसलिये, यह निर्णय लिया गया है कि जहां रिक्तियां अभी तक विज्ञापित नहीं की गई हैं, विभाग अपने स्तर पर गणना करने के बाद निर्णय करें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी गई मांग, यदि कोई हो, में से कितनी रिक्तियां वापिस ली जानी हैं।

9. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी जो तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर कार्यरत हैं तथा जो इस नियमितीकरण नीति के अधीन नहीं आए हैं तथा जो अब तक सेवा में हैं, को एक मुश्त उपाय के रूप में आयु में छूट दी जायेगी, यदि वे नियमित नियुक्ति में भाग लेते हैं।

भवदीय
संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

अशा क्रमांक 6/50/2007-1जी.एस.।
पृष्ठांकन 6/50/2007-1जी.एस.।

दिनांक 29 जुलाई 2011
दिनांक 29 जुलाई 2011

1. इसकी एक प्रति मुख्य सचिव (सेवायें शाखा - III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
2. इसकी एक प्रति सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला को अग्रेषित की जाती है और यह अनुरोध किया जाता है कि यदि इस मुद्दे पर कोई विज्ञापन प्रक्रिया में है तो, उसे रोकना होगा। सम्बन्धित विभागों से नया मांग पत्र प्राप्त होने तक प्रकाशित न किया जाये।

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार